

समाज व कर्तव्य
अदम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

दिनांक 16-04-2021

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इसके अलावा प्रार्थिया को बार बार निर्देशित करने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादिया अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहती है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थिया के पक्ष में जारी अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09-08-2019 निरस्त की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)